उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या–360/एक–11–2021
लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–20 के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचक निधि के परिचालन, राहत कार्यों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण, कियान्वयन, अनुसरण, समीक्षा तथा मार्गदर्शन हेतु राजस्व अनुभाग–10 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–418/1–10–2016–14(15)/2009 दिनांक 06.04.2016 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में **"राज्य कार्यकारिणी समिति"** का गठन निम्नवत् किया गया था:–

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
5	सचिव एवं राहत आयुक्त	सदस्य/संयोजक
विशेष आमंत्रित सदस्य		
1	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व	सदस्य
2	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, वन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण	सदस्य
10	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद	सदस्य
11	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण	सदस्य
12	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य

13	प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन	सदस्य
14	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
15	निदेशक, भारतीय मौसम विभाग	सदस्य
16	निदेशक, सुदूर संवेदन केन्द्र	सदस्य

2. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–20 में राज्य कार्यकारिणी समिति के गठन हेतु निम्नवत प्राविधान किया गया है:–

"धारा–20–(1)राज्य सरकार, धारा–14 की उपधारा–(1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात राज्य प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने और कार्य का समन्वय करने के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी।

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:–

(क) राज्य सरकार का मुख्य सचिव, जो पदेन अध्यक्ष होगा

(ख) राज्य सरकार के ऐसे विभागों के चार सचिव, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, पदेन।

(3) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

(4) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रकिया वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–20 की उपर्युक्त प्राविधानित व्यवस्था के दृष्टिगत राज्य आपदा मोचक निधि के परिचालन, राहत कार्यों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण, कियान्वयन, अनुसरण एवं समीक्षा तथा मार्गदर्शन हेतु **कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.04.2016 द्वारा गठित राज्य कार्यकारिणी समिति को अवक्रमित करते हुये, उसके स्थान पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में "राज्य कार्यकारिणी समिति" का गठन निम्नवत् किया जाता है:–**

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7	सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	संयोजक

4. अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को उनके विभाग से सम्बन्धित बिन्दु होने के आधार पर आवश्यकतानुसार **"राज्य कार्यकारिणी समिति"** की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकेगा।

5. समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह कार्यहित में आवश्यकतानुसार अपने कुछ अधिकार समिति के किसी एक सदस्य अथवा एक से अधिक सदस्यों की उप समिति को प्रतिनिहित कर दें।

6. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से सम्बन्धित ऐसे मामलों, जिसके लिये राज्य कार्यकारिणी समिति अधिकृत है, को राज्य आपदा मोचक निधि से तत्काल धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता हो और समिति की बैठक तत्काल

बुलाना सम्भव न हो तो प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

7. भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के आलोक में राजस्व विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से सम्बन्धित कार्यों से समिति की समय–समय पर होने वाली बैठकों में अवगत कराते हुये अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

27/9/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–360(1)/1–11–2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2– समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण।
3– अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
6– सचिव, गृह, वित्त तथा कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण लखनऊ।
8– वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
9– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, लखनऊ।
10– वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5।
11– राजस्व अनुभाग–11/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राम केवल) 27/9
विशेष सचिव।